न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **स्वत्व वाद स० -29/15**
अवर न्यायाधीश **सीआईएस संख्या -606/18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 3.01.2024**

दिनांक 03.01.2024

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.01.2024 पर आदेश हेतु निर्धारित है । वादी का कथन है कि वादी द्वारा न्यायालय में डीसीएलआर अरेराज द्वारा वाद सं0 86/11–12 में दिनांक 10.05.2012 को प्रस्तुत आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है जो कि लोक दस्तावेज है अतः उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी मामले में उपस्थित नहीं है।

उपस्थित पक्ष को सुना, पत्रावली तथा दस्तावेज का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा डीसीएलआर अरेराज द्वारा वाद सं0 86/11–12 में दिनांक 10.05.2012 को प्रस्तुत आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि है। मामले में चूंकि यह एक लोक दस्तावेज हैं अतः मामले में आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है और दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित करने की इजाजत दी जाती है। वाद दिनांक .... अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)